बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

—: प्रेस विज्ञप्ति :—

गृह विभाग (कारा) अंतर्गत संविदा के आधार पर चिकित्सकों (विशेषज्ञ एवं सामान्य) के नियोजन हेतु वॉक—इन—इन्टरव्यू आयोजित करने से संबंधित सूचना

आवेदन की अंतिम तिथि—15.01.2025

राज्य की काराओं में संविदा के आधार पर चिकित्सकों (विशेषज्ञ एवं सामान्य) के नियोजन हेतु दिनांक—28.01.2025 से 30.01.2025 तक पूर्वाहन 10:00 बजे से वॉक—इन—इन्टरव्यू का आयोजन कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना में किया गया है।

2. (i) वॉक—इन—इन्टरव्यू में सम्मिलित होने वाले चिकित्सक अभ्यर्थी, Online Application प्राप्त करने हेतु Develop किये गये निम्नांकित URL पर सभी वांछित सूचनाओं की प्रविष्टि (Online आवेदन) उपलब्ध विहित प्रपत्र में दिनांक—01.01.2025 से 15.01.2025 तक कर सकते है :—

https://eprisons.bihar.gov.in/mis/RecruitmentDr2024/DrRec_Instruction.aspx

(ii) चिकित्सक अभ्यर्थियों से ऑफलाइन आवेदन (विहित प्रपत्र को डाउनलोड कर), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, मुख्य सचिवालय, बिहार, पटना के कार्यालय में दिनांक—15.01.2025 तक स्वीकार किये जाऐंगे।

3. अभ्यर्थियों के वॉक—इन—इन्टरव्यू की तिथि निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः—

क्र0	अभ्यर्थियों के नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार समूह (Name Start With)	साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि
1	A से F तक	28.01.2025
2	G से P तक	29.01.2025
3	Q से Z तक	30.01.2025

4. वॉक—इन—इन्टरव्यू में अभ्यर्थियों को निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा उसकी छायाप्रतियों की एक स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति साथ लाना अनिवार्य होगा :—

(i) सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

(ii) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए)।

(iii) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु)।

(iv) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत EWS प्रमाण पत्र (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)।

(v) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र।

(vi) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए)।

(vii) पासपोर्ट आकार का 02 (दो) फोटोग्राफ।

(viii) एक फोटो युक्त पहचान पत्र (यथा—आधार कार्ड/पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि)।

(ix) बिहार राज्य चिकित्सा परिषद से स्थाई निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

(x) सभी अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ इस आशय का 100 रूपये के गैर—न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इन्डेमनिटी बॉण्ड (Indemnity Bond) संलग्न करना अनिवार्य होगा जिसके अनुसार वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।

5. आवेदक आवेदन पत्र भरते समय प्राथमिकता के क्रम में इच्छा—क्रमानुसार तीन काराओं/जिला (गृह जिला को छोड़कर) का नाम देंगे। इच्छित तीन काराओं/जिलों में रिक्ति अवशेष नहीं रहने की स्थिति में विभाग अन्य जिला में पदस्थापन हेतु स्वतंत्र होगा।

6. इस नियोजन प्रक्रिया में सरकार द्वारा निर्धारित सभी आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा तथा इन्टरव्यू में शामिल होने हेतु अभ्यर्थियों को कोई यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

7. नियोजन हेतु रिक्तियों की विवरणी, अर्हत्ताएँ तथा मानदेय निम्न् प्रकार हैः–

(i) संविदा आधारित विशेषज्ञ चिकित्सक, कुल रिक्त पदः–17

पदनाम	मानदेय	रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी								
		गैर आर0	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अ0पि0व0	पि0व0	पि0 वर्गों की महिलाएँ	कुल	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती नाती / नतीनी हेतु
संविदा आधारित विशेषज्ञ चिकित्सक	रु82,000/–	06	01	03 (01 बैकलॉग सहित)	00	04 (02 बैकलॉग सहित)	02 (01 बैकलॉग सहित)	01	17	–
	महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य पद	02	00	00	00	00	00	–	02	–
	दिव्यांग हेतु	अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता को –00, बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास दिव्यांगता को–00, चलंत दिव्यांगता को –00, बहुदिव्यांगता को –01 कुल – 01								
अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :–एम0बी0बी0एस0 एवं एम0डी0 / एम0एस0 तथा बिहार राज्य चिकित्सा परिषद से स्थायी निबंधन।										

(ii) संविदा आधारित सामान्य चिकित्सक, कुल रिक्त पदः–75

पदनाम	मानदेय	रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी								
		गैर आर0	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अ0पि0व0	पि0व0	पि0 वर्गों की महिलाएँ	कुल	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती नाती / नतीनी हेतु
संविदा आधारित सामान्य चिकित्सक	रु65,000/–	27	07	17 (04 बैकलॉग सहित)	01	15 (02 बैकलॉग सहित)	05	03 (01 बैकलॉग सहित)	75	01
	महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य पद	09	02	05	00	05	02	–	23	–
	दिव्यांग हेतु	अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता को –01, बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास दिव्यांगता को–01, चलंत दिव्यांगता को –01, बहुदिव्यांगता को –00 कुल – 03								
अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :–एम0बी0बी0एस0 तथा बिहार राज्य चिकित्सा परिषद से स्थायी निबंधन।										

8. CWJC No.-16760/2023 गौरव कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध सभी अन्य मामलों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–20.06.2024 को पारित न्यायादेश के माध्यम से बिहार (बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में) आरक्षण अधिनियम–19, 2023 को Set aside कर दिया गया है। इस न्यायादेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP(C) No.-014086/2024, 014425/2024, 014096/2024, 014329/2024, 014079/2024, 014051/2024, 014132/2024, 014094/2024, 014081/2024 एवं 014430/2024 दायर किया गया है।

यह नियोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर उपरोक्त सभी SLP(C) में पारित होने वाले आदेशों के फलाफल से प्रभावित होगी।

9. अन्य शर्तें:–

(i) नियोजन 11 माह के लिए किया जायेगा एवं सेवा संतोषजनक होने पर नियमानुसार संविदा विस्तार किया जा सकेगा।

(ii) नियोजन हेतु अधिकतम आयु–सीमा 65 वर्ष होगी।

(iii) रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

(iv) इस संबंध में विस्तृत जानकारी गृह विभाग(कारा) के वेबसाईट https://eprisons.bihar.gov.in/mis/RecruitmentDr2024/DrRec_Instruction.aspx पर उपलब्ध है।

विश्वासभाजन

18.12.2024

(संजीव जमुआर)
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)
बिहार, पटना।